दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय दिया गया: 13.04.2023

रि.या.(सि.) 6093/2012

आर.एस. यादव ...याचिकाकर्ता

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली और अन्य ...प्रत्यर्थीगण

इस मामले में पेश हुए अधिवक्तागण:

:याचिकाकर्ता के लिए श्री विक्रमादित्य सिंह अधिवक्ता।

:प्रत्यर्थी के लिए श्री नीतेश कुमार सिंह, सुश्री पलक रोहमेत्रा, सुश्री लावण्या कौशिक और सुश्री अलीज़ा आलम अधिवक्तागण।

कोरमः

माननीय न्यायाधीश श्री तुषार राव गेडेला

निर्णय

न्यायाधीश तुषार राव गेडेला (मौखिक)
[कार्यवाही हाइब्रिड मोड द्वारा की गई है]

1. वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता निम्नलिखित प्रार्थना करता है:-

"(i) दिनांकित 17.02.2012 और 30.08.2012 के आदेश को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता के मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति के दावे को खारिज कर दिया और प्रतिवादियों को विलंबित भुगतान और लागत पर ब्याज के साथ याचिकाकर्ता के चिकित्सा दावे का भुगतान करने का निर्देश देते हुए परमादेश रिट जारी की।

(ii) ऐसे अन्य और आगे के आदेश पारित करें जैसा कि यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उचित और उचित समझे।"

2. वर्तमान में तथ्य निम्नानुसार बताए गए हैं:-

(i) याचिकाकर्ता वर्ष 1957 में एक कृषि सहायक के रूप में दिल्ली प्रशासन की सेवा में शामिल हुआ और धानी सिविल सेवा का अधिकारी बना और उसके बाद दिल्ली प्रशासन के तहत विभिन्न पदों पर तैनात किया गया।

(ii) 31.10.1992 पर याचिकाकर्ता जिला आबकारी अधिकारी के रूप में काम करते हुए सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त हुए।

(iii) याचिकाकर्ता ने वर्ष 1997 में एक चिकित्सा सुविधा कार्ड की सेवाओं के लिए आवेदन किया था जो उसे आबकारी विभाग द्वारा दिया गया था। वर्ष 1997 और 2003 में, याचिकाकर्ता बीमार हो गया और विभाग को अपने चिकित्सा दावे की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया और उस समय उसे मंजूरी दे दी गई।

(iv) वर्ष 2011 में किसी समय याचिकाकर्ता लखनऊ गया और अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उसे दिल की बीमारी यानी एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफेक्शन के आपातकालीन उपचार के लिए आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में, प्रारंभिक उपचार के बाद, याचिकाकर्ता को 03-08-2011 को सेना अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। याचिकाकर्ता का यह कहना है कि उसने लखनऊ में सेना अस्पताल में इलाज के लिए 8205/- रुपये की राशि खर्च की।

(v) इसके बाद, आगे के इलाज के लिए, याचिकाकर्ता को लखनऊ से नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया और हृदय रोग के आपातकालीन उपचार के लिए भर्ती कराया गया। इसके बाद, उन्हें इलाज और दवाओं के लिए 2,67,150 रुपये का भुगतान करने के बाद नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट से छुट्टी दे दी गई।

(vi) (vi) याचिकाकर्ता ने दिनांक 23-09-2011 को लखनऊ और दिल्ली में उपचार के लिए 2,75,355/- रुपए की उपर्युक्त राशि की प्रतिपूर्ति के लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशालय को चिकित्सा बिल प्रस्तुत किए।

(vii) तथापि, दिनांक 17/02/2012 के पत्र द्वारा स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने दो बिलों की प्रतिपूर्ति के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि याचिकाकर्ता दिल्ली सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (डीजीईएचएस) का सदस्य नहीं था और इस प्रकार प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं था।

(viii) इस कमी को दूर करने के लिए याचिकाकर्ता ने आजीवन एक बारगी प्रभार के रूप में 39,000/- रुपए का भुगतान करने के बाद दिनांक 27/03/2012 को एक नए मेडिकल कार्ड के लिए आवेदन किया।

(ix) बाद में, दिनांक 14/08/2012 को याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त राशि की प्रतिपूत के लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशालय को बिल पुन प्रस्तुत किए। इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद, वर्तमान रिट याचिका पूर्वोक्त निर्णय को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।

3. श्री नितेश, प्रतिवादी के लिए पेश होने वाले विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता उस विशेष समय में पात्र नहीं था क्योंकि वह दिल्ली सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (डीजीईएचएस) का सदस्य नहीं था और इसलिए प्रतिपूर्ति के लिए किसी भी पात्रता का कोई सवाल ही नहीं था। हालांकि, श्री सिंह ने बहुत निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया और राम कुमार कौशिक बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार और अन्य में इस न्यायालय के निर्णय की एक प्रति सौंपी। डब्ल्यूपी (सी) 7978/2012 का निर्णय 04.03.2016 को किया गया था, जिससे समान तथ्यों के आधार पर, किशन चंद बनाम एनसीटी सरकार और अन्य में इस न्यायालय के निर्णय के आधार पर, 12.03.2010 को दिए गए इस न्यायालय की विद्वान समन्वय पीठ ने प्रतिवादी को उस उपचार के लिए चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया, जो उस मामले में याचिकाकर्ता ने किया था।

4. . इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार किया है और साथ ही प्रतिवादी के लिए उपस्थित विद्वान वकील श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण पर भी विचार किया है।

5. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान याचिका में उठाया गया मुद्दा अब एकीकृत नहीं है और राम कुमार कौशिक (उपरोक्त) के पूर्वोक्त निर्णय सहित निर्णयों के कैटेना द्वारा कवर किया गया है, जिसके खिलाफ यह कहा गया है, कि एक एलपीए, जिसे दायर किया गया था, को भी खारिज कर दिया गया है।

6. किशन चंद बनाम एनसीटी सरकार और अन्य, डब्ल्यूपी (सी) 889/2007 में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ, 12 मार्च, 2010 को फैसला किया गया है, निम्नानुसार आयोजित किया गया है:-

> *"6. एस.के. शर्मा (उपरोक्त) के मामले में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्त होने के बाद चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लाभ से केवल इस तथ्य के कारण वंचित नहीं किया जा सकता है कि उसने उक्त योजना का विकल्प नहीं चुना था। इस मामले में भी कर्मचारी के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वह योजना का हिस्सा नहीं होने के कारण सी.जी.एच.एस. नियम के तहत शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी गैर-सी.जी.एच.एस. क्षेत्र में रहने वाला एक सेवानिवृत्त केंद्र सरकार का कर्मचारी अपने और अपने आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए निकटतम केंद्र से*

सी. जी. एच. एस. कार्ड बना सकता है जहां सी.जी.एच.एस. काम कर रहा है। शीर्ष न्यायालय के कुछ आधिकारिक निर्णयों पर भरोसा करते हुए, उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने यह विचार रखा कि याचिकाकर्ता के साथ केवल इसलिए भेदभाव नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह सी.जी.एच.एस. योजना का सदस्य नहीं है क्योंकि वह गैर-सी.जी.एच.एस. क्षेत्र में रह रहा था। इस मामले में भी कर्मचारी ने बाद में कार्ड धारक बनने के लिए आवेदन किया था।

7. वी.के. जगधारी (उपरोक्त) के मामले में, जिस पर याचिकाकर्ता ने भरोसा किया है, अदालत के समक्ष एक समान सवाल उठा और आपत्ति जताई गई कि चूंकि कर्मचारी ने अपनी सर्जरी के बाद सी.जी.एच.एस. कार्ड का विकल्प चुना था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से प्रतिपूर्ति के दावे से वंचित था। उक्त प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हुए, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि पेंशनभोगी के साथ केवल इसलिए भेदभाव नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसने सी.जी.एच.एस. योजना का विकल्प नहीं चुना है या वह गैर-सी.जी.एच.एस. क्षेत्र से बाहर रहता है। एस. के. शर्मा (ऊपरोक्त) और सोम दत्त शर्मा (ऊपरोक्त) मामले में निर्णयों के अनुपात को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत ने कानूनी स्थिति को मजबूत किया और कहा किः

"इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से उत्पन्न स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः

1) यदि कर्मचारी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने और उपचार के बाद सदस्य बनने के बाद भी योगदान देता है, तो भी एन. सी. टी. सरकार बनाम एस. एस. शर्मा की प्रतिपूर्ति (डी. बी.) का अधिकार हैः118(2005) डी. एल. टी. 144

2) भले ही योजना के तहत सदस्यता योजना के लाभों के हकदार सेवानिवृत्त व्यक्ति को संसाधित नहीं करती है-मोहिंदर पाल बनाम यू. ओ. आई.:117(2005) डीएलटी204।

3) खर्च की गई पूरी राशि का भुगतान नियोक्ता को करना होता है और पूरी राशि की प्रतिपूर्ति करनी होती है। यह सरकार और संबंधित अस्पताल को तय करना है कि सही राशि क्या है। मिलाप सिंह बनाम यू. ओ. आई.:113(2004) डीएलटी91; रन डीप कुमार राणा बनाम यूओआईः111(2004) डीएलटी 473

4. पेंशनभोगी पूर्ण प्रतिपूर्ति का हकदार है जब तक कि अस्पताल अनुमोदित सूची पी. एन. चोपड़ा बनाम यू. ओ. आई., (111) 2004 डी. एल. टी. 190 में बना रहता है।

5) कार्ड धारक के रूप में सेवानिवृत्त कर्मचारी की स्थितिः एस. के. शर्मा बनाम यूओआई,:2002(64) डी आर जे 620;

6) यदि चिकित्सा उपचार का लाभ उठाया जाता है, चाहे कर्मचारी कार्डधारक हो या नहीं, यह अप्रासंगिक है और पूर्ण प्रतिपूर्ति दी जानी चाहिए, बी. आर. मेहता बनाम यू. ओ. आई.:79(1999) डीएलटी388 '।

एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की स्थिति को योजना और नियमों से स्वतंत्र माना गया था जहां तक चिकित्सा उपचार और/या सी. जी. एच. एस. लाभों की पात्रता का संबंध था।वी. के. गुप्ता बनाम भारत संघ,97(2002) डीएलटी 337)। इसी तरह नरेंद्र पाल सिंह बनाम भारत संघ में,79(1999) डी. एल. टी. 358, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि यदि किसी कर्मचारी को विशेष उपचार की आवश्यकता होती है और इसमें आपात स्थिति शामिल होती है तो सरकार पूर्व-पोस्ट कारक मंजूरी देने के लिए बाध्य होती है।''

8. यह काफी चौंकाने वाली बात है कि इस न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न घोषणाओं के बावजूद, प्रतिवादियों ने निर्धारित कानून की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए यह स्थिति ली है कि पेंशनभोगी चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रदान करने का हकदार नहीं है क्योंकि उसने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद या उसके द्वारा उक्त सर्जरी से पहले उक्त स्वास्थ्य योजना का सदस्य बनने का विकल्प नहीं चुना था।

यह एक तय कानूनी स्थिति है कि सरकारी कर्मचारी अपने जीवनकाल के दौरान या अपनी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने का हकदार है और इस बहाने से उसके अधिकारों पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है कि उसने योजना का सदस्य बनने का विकल्प नहीं चुना है या ऑपरेशन या किसी अन्य चिकित्सा उपचार से गुजरने के बाद आवश्यक सदस्यता का भुगतान किया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि वह सरकारी कर्मचारियों के सेवा में रहते हुए और उनके सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनके चिकित्सा खर्चों को वहन करे। स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले में एक बहुत ही अमानवीय दृष्टिकोण अपनाकर, इन अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को इस अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर करने के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अनुदान से इनकार कर दिया है। इस न्यायालय के फैसले को उनके संज्ञान में लाए जाने के बाद भी प्रत्यर्थियों ने परेशान नहीं किया और याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका के साथ इसकी प्रति रखी गई।''

9. उपरोक्त के आलोक में, वर्तमान याचिका की अनुमति दी जाती है।

10. उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के बिल जमा करने की तारीख से 18% ब्याज के साथ उक्त चिकित्सा दावे का भुगतान करें। उक्त भुगतान प्रतिवादी द्वारा इस आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर किया जाएगा। वर्ष 2009-10 के दौरान 1000 करोड़ याचिकाकर्ता को उक्त भुगतान करने में देरी करने के लिए प्रतिवादियों पर 10,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।"

7. कानून के उपरोक्त अधिदेश के साथ-साथ वर्तमान मामले में उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका को प्रतिपूर्ति की मांग करने वाले आवेदन के साथ याचिकाकर्ता के चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति करने के निर्देश के साथ अनुमति दी गई है।

8. इसे आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को प्रेषित किया जाए।

9. चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति में इस तरह की देरी को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि वर्तमान रिट याचिका दायर करने की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी दिया जाना चाहिए।

10. ***राम कुमार कौशिक***(उपरोक्त) के मामले में निर्णय रिकॉर्ड में लिया जाता है।

न्या., तुषार राव गेदेला

अप्रैल 15,2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*